सरकार प्रदेश

चतुर्थ / पंचम तल,इन्दिरा भवन अशोक मार्ग लखनऊ–226001

दिनांकः अप्रैल , 2017

पत्र संख्या–एफएस / 2017 / 28328 / एलकेडब्ल्यू / लखनऊ / 2365 / जेडी

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता(हा0 / इंटी0),
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
विपिनखण्ड,गोमतीनगर,
लखनऊ।

विषयः– खसरा नं0–439,440,441,442,443 पार्ट–153,154,436,438,444,445,446,448,449,465,466 व 467 सुल्तानपुर रोड गोमतीनगर विस्तार जिला–लखनऊ मे ओमैक्स इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के अन्तर्गत प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग–2 पर 1356 फ्लैट्स के भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

यूआईडी नम्बर–2017 / 28328 / एलकेडब्ल्यू / लखनऊ / 2365 / जेडी दिनांक–17.03.17

.................................................

कृपया अपने पत्र संख्या–314 / ईई / एचटीआईजी / 2016 दिनांक–23.07.16 व आवेदक के संशोधित प्रार्थना पत्र दिनांक–30.03.17 तथा फायर सर्विस वेबसाइड पर अपलोड टिकट नम्बर–2017 / 28328 / एलकेडब्ल्यू / लखनऊ / 2365 / जेडी दिनांक–17.03.17 के माध्यम से प्रश्नगत प्रस्तावित संशोधित समूह आवास भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत प्रस्तावित समूह आवास भवन को इस कार्यालय के पत्र संख्या–एफएस / 2017 / 28328 / एलकेडब्ल्यू / लखनऊ / 2365 / जेडी दिनांकः 20.03.2017 के द्वारा प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था परन्तु आवेदक द्वारा पुनः संशोधित मानचित्र प्रस्तुत किया गया है जिसमे कुछ एरिया मेजरमेन्ट मे संशोधन किया गया है। इससे पूर्व ग्रुप हाउसिंग भवन को फायर सर्विस मुख्यालय के पत्र संख्या–1076 / जेडी(टी.एण्ड)–एलकेडब्ल्यू / 2015(8) दिनांक–16.12.15 के द्वारा प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था। जिसके सापेक्ष भवन के मानचित्र मे प्राविधानित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओ एवं अभिलेखों का भौतिक परीक्षण अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर की आख्या दिनांक–31.03.17 ,मुख्य अग्निशमन अधिकारी ,लखनऊ / उप निदेशक फायर सर्विस परिक्षेत्र लखनऊ / फैजाबाद की आख्या दिनांक–02.04.17 का सुसंगत मानको के अनुसार परिशीलन किया गया जो निम्नवत है–

भवन की संरचनाः–

1–कुल भूखण्ड एरिया– 46486.50 वर्गमीटर।

टावर–ए1

- प्रस्तावित भूतल का कवर्ड एरिया– 823.65 वर्गमीटर।
- प्रथम तल से 19 वें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया– 739.705 वर्गमीटर।

टावर–ए2

- प्रस्तावित भूतल का कवर्ड एरिया– 823.65 वर्गमीटर।
- प्रथम तल से 19 वें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया– 739.705 वर्गमीटर।

टावर–ए3

- प्रस्तावित भूतल का कवर्ड एरिया– 823.65 वर्गमीटर।
- प्रथम तल से 19 वें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया– 739.705 वर्गमीटर।

टावर–ए4

- प्रस्तावित भूतल का कवर्ड एरिया– 984.58 वर्गमीटर।
- प्रथम तल से 19 वें तल का टिपिकल कवर्ड एरिया– 877.721 वर्गमीटर।

टावर–बी1

- प्रस्तावित भूतल का कवर्ड एरिया– 559.80 वर्गमीटर।

व सी3–ब्लाक–ए प्रत्येक
68.80 मीटर।

- टावर–सी2–ब्लाक–बी, सी3–ब्लाक–बी, टावर बी1 ,बी3, बी4, बी6, सी2–ब्लाक–ए की ऊँचाई–

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी–प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया हैं।

ढाँचागत व्यवस्था –
1–पहुँच मार्ग–भूखण्ड के सामने मानचित्र मे 24.00 मीटर रोड की चौड़ाई है।
2–प्रवेश व निकास द्वार प्रत्येक की चौड़ाई–06.00 मीटर है जो मानक के अनुसार है।
3–सेटबैक–भवन का न्यूनतम सैटबैक निम्नवत हैं–

- अग्रभाग– 16.00 मीटर।
- पृष्ठभाग– 16.00 मीटर।
- पार्श्वभाग प्रथम– 16.00 मीटर।
- पार्श्वभाग द्वितीय– 16.00 मीटर।

उपरोक्त भवन के सैटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेगें।सेटबैक मे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नही होगा। बेसमेन्ट का कुछ भाग बिल्डिंग एन्वलप से बाहर हैं इसलिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा बेसमेन्ट की छत की भार वहन क्षमता 45 टन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।

4–निकास मार्ग–प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मे दो स्टेयर केस प्रत्येक की चौड़ाई–01.50 मीटर का प्राविधान किया गया है जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानो से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत हैं।
5–रिफ्यूज एरिया का विवरण–प्रत्येक टावर मे बालकनी प्रस्तावित है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था–नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया–2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण की जानी अनिवार्य हैं।

1–भूमिगत टैंक–भूमिगत टैंक–570000 लीटर क्षमता का मानचित्र मे प्राविधानित है।
2–पम्प–भूमिगत टैंक के पास मेन पम्प–2850 एलपीएम क्षमता का दो विद्युत चालित पम्प एक डीजल चालित पम्प 2850 एलपीएम क्षमता दो जौकी पम्प 180 एलपीएम क्षमता का स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।
3–होजरील–प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर के प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिग वाल्व आई0एस0–3844 मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।
4–वेटराइजर–प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मे वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0–2005 के मानको के अनुरूप स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।
5–यार्ड हाइडेन्टस–प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर मे यार्ड हाईड्रेण्टस होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई0एस0 01339:1991 के अनुसार कराया जाना प्राविधानित है।
6–हस्तचालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार किया जाना आवश्यक है।
7–स्वचालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम–भवन के प्रत्येक टावर मे आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।
8–स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम–प्रत्येक टावर/ब्लाक व बेसमेंट के प्रत्येक तल पर आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।
9–टेरिस टैंक–भवन के प्रत्येक टावर के टैरिस पर टेरिस टैंक–10000 लीटर क्षमता का स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।
10–टेरिस पम्प–आवश्यक नही है।
11–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)–भवन के प्रत्येक टावर के प्रत्येक तल पर फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190 के अनुसार स्थापित कराया जाना प्राविधानित हैं।
12–स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम–प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के बेसेन्ट मे स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।

13—एग्जिट साइनेज—सम्पूर्ण भवन मे एग्जिट साइनेज का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।
14—पी0ए0 सिस्टम—सम्पूर्ण भवन मे पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था प्राविधानित किया जाना आवश्यक होगा।
15—प्रशिक्षित स्टाफ—ग्रुप हाउसिंग भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्था के कुशल संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्तानुसार खसरा नं0—439,440,441,442,443 पार्ट—153, 154 ,436, 438, 444, 445, 446, 448, 449, 465, 466 व 467 सुल्तानपुर रोड गोमतीनगर विस्तार जिला—लखनऊ मे ओमेक्स इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के अर्न्तगत प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग—2 पर 1366 फ्लैट्स के भवन के निर्माण हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई मे अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया—2005 मे उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानको के अनुसार भौतिक रुप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
संलग्नक—अनुमोदित मानचित्र

(जे0के0 सिंह)
संयुक्त निदेशक (एफ/पी)
फायर सर्विस मुख्यालय, उ0प्र0
लखनऊ।

प्रतिलिपि—उप निदेशक फायर सर्विस परिक्षेत्र लखनऊ/फैजाबाद को सूचनार्थ एवं समस्त अभिलेखो के सुरक्षित रख रखाव तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2—मुख्य अग्निशमन अधिकारी ,लखनऊ को सूचनार्थ एवं समस्त अभिलेखो के सुरक्षित रख रखाव तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3—अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।